



**बिहार सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या व.सं./71/2022- 906

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 20/10/2022

विषय - भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर-बेला-नवादा (47.00-89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर-बेला-नवादा (47.00-89.21 कि०मी०) पथ निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर का प्रस्ताव वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 E/ 190 E दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

2. विषयाधीन पथ के निर्माण में कुल 3.2213 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 558 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर तथा वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है-

| क्रम सं० | वन प्रमंडल का नाम | कि०मी०                | क्षेत्रफल (हे० में) | Tranlocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या | पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या |
|----------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | मिथिला            | 66.45-89.21= 22.76 KM | 1.7519              | 22                                          | 166                                    |
| 2        | समस्तीपुर         | 47.00-66.45= 19.45 KM | 1.4694              | 260                                         | 110                                    |
|          | <b>कुल</b>        | <b>3.2213</b>         | <b>3.2213</b>       | <b>282</b>                                  | <b>276</b>                             |

3. वृक्ष सुरक्षा योजना के अनुसार कुल 276 वृक्षों के पातन एवं 282 वृक्षों का Traslocation प्रस्तावित है। प्रस्ताव में उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है जिनका Traslocation विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 तथा दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर से FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अलग से भेजा जायेगा।



5. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 3.2213 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 8.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, जमुई के झांझा प्रक्षेत्र अन्तर्गत मंझगाय PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 3.2213 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रु० 30,85,297/- (रुपये तीस लाख पचासी हजार दौ सौ सनतानवें) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 3.2213 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये जमुई वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि मंझगाय सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रु० 33,94,917/- मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/- रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।  
अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— व.सं./71/2022— 906 दिनांक— 20/10/2022

प्रतिलिपि — परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।



भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर-बेला-नवादा (47.00-89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 3.2213 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट-

| क्र० सं० | विवरणी                                                                                         | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-I                                                     | संलग्न।   |
| 2        | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking                                           | संलग्न।   |
| 3        | प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा                 | संलग्न।   |
| 4        | वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-II                          | संलग्न।   |
| 5        | वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन                          | संलग्न।   |
| 6        | परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।                                 | संलग्न।   |
| 7        | वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।       | संलग्न।   |
| 8        | वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।              | संलग्न।   |
| 9        | वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र | संलग्न।   |
| 10       | क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफरेन्स मैप                                    | संलग्न।   |
| 11       | वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-III                            | संलग्न।   |
| 12       | नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-IV                                  | संलग्न।   |

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।